कार्यवृत्त

आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ
(आई.क्यू.ए.सी) की सातवीं बैठक

दिनांक : 09 नवंबर 2016

समय : अपराहन 3:30 बजे

स्थान : भाषा विद्यापीठ सभा कक्ष

ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

कार्यवृत्त

आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (IQAC) की सातवीं बैठक दिनांक 09 नवंबर 2016 को अपरान्ह 3:30 बजे भाषा विद्यापीठ के सभाकक्ष में माननीय कुलपति प्रो. गिरीश्वर मिश्र की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य एवं बाह्य विशेषज्ञ उपस्थित रहे:

1. प्रो. आनंद वर्धन शर्मा, समकुलपति
2. प्रो. एल. कारूण्यकरा
3. प्रो. अनिल कुमार राय
4. प्रो. सूरज प्रसाद पालीवाल
5. प्रो. सुरेश शर्मा
6. प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल
7. प्रो. देवराज
8. प्रो. अरबिंद कुमार झा
9. डॉ. अन्नपूर्णा सी.
10. डॉ. राजेंद्र प्रसाद मिश्र, कुलसचिव
11. श्री कादर नवाज खान, संयुक्त कुलसचिव, अकादमिक
12. डॉ. अशोक पावडे, बाह्य विशेषज्ञ
13. श्री भरत महोदय, (पूर्व विद्यार्थी)
14. श्री सुधीर जिंदे, (विद्यार्थी)
15. डॉ. मनोज कुमार राय, (विशेष आमंत्रित)
16. श्री यशराज सिंह पाल, (विशेष आमंत्रित)
17. डॉ. शोभा पालीवाल

बैठक में प्रो. आनंद प्रकाश, प्रो. प्रफुल्ल काले, मनोज कुमार एवं डॉ.मैत्रेयी घोष अपरिहार्य कारणों से उपस्थित नहीं हो सके।

आरंभ में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की समन्वयक डॉ. शोभा पालीवाल ने अध्यक्ष महोदय, प्रो. आनंद वर्धन शर्मा समकुलपति तथा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया और अध्यक्ष महोदय से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करने का अनुरोध किया। कार्यसूची पर विचार-विमर्श के बाद सर्व सम्मति से लिए गए मदवार निर्णयों का विवरण निम्नानुसार है-

मद संख्या- 01

आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) की छठी बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि एवं अनुमोदन।

आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) की छठी बैठक माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 21 मार्च 2016 को पूर्वान्ह: 11:00 बजे भाषा विद्यापीठ सभागार में सम्पन्न हुई थी, जिसका कार्यवृत्त सभी सदस्यों को प्रेषित किया गया था। माननीय सदस्यों द्वारा उसपर किसी प्रकार की टिप्पणी या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ था। कार्यवृत्त की प्रति माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गयी।

निर्णय: कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

मद संख्या- 02

आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) की छठी बैठक में लिए गये निर्णयों के अनुपालन में की गई कार्यवाही

निर्णय: प्रकोष्ठ ने उपलब्ध कराई गई सूचनाएँ ग्रहण कीं।

मद संख्या- 03

सत्र 2016- 17 के लिए IQAC की कार्य योजना पर विचार

निर्णय: सत्र 2016- 17 के कार्य योजना पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के प्रत्येक विभाग में आंतर विभागीय पाठ का आयोजन किया जाए तथा शिक्षकों के लिए शिक्षण प्रविधि पर कार्यशाला आयोजित की जाए जिससे कक्षा में शिक्षण की गुणवत्ता को समृध्द किया जा सके।

विश्वविद्यालय का अकादमिक ऑडिट दिनांक 27-28 जनवरी 2017 को करवाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या- 04

विश्वविद्यालय के कार्यरत शैक्षणिक कर्मियों के Career Advancement Scheme (CAS) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर विचार

निर्णय: डॉ. एच.ए.हुनगुंद, डॉ. मनोज कुमार राय, डॉ. धूपनाथ प्रसाद, डॉ. उमेश कुमार सिंह, डॉ. नृपेन्द्र प्रसाद मोदी, डॉ. कृपा शंकर चौबे, डॉ. प्रीति सागर, डॉ. अनिल कुमार पाण्डेय, एवं डॉ. फरहद मलिक के सीएएस प्रकरणों की जाँच के लिए प्रो. कारूण्यकारा की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट श्री यशराज सिंह पाल द्वारा बैठक में प्रस्तुत की गई। आईक्यूएसी ने प्रारंभिक जाँच समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार कर उसे स्वीकार करते हुये यह निर्णय लिया कि स्टेज 2 से 3 के प्रकरणों को आगामी CAS Screening Committee के समक्ष तथा स्टेज 4 से 5 के प्रकरणों को Selection Committee के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाए।

समिति के समक्ष डॉ. मनोज कुमार राय का सीएएस प्रकरण भी रखा गया था इसलिए डॉ. मनोज कुमार राय उठकर बैठक से बाहर चले गए थे।

मद संख्या- 05

गैर - शैक्षणिक कर्मियों, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों के लिए हिंदी भाषा प्रयोग में दक्षता लाने के लिए कार्यशाला का आयोजन करने पर विचार विमर्श।

निर्णय: अध्यापकों के लिए भाषा प्रयोग पर एवं गैरशैक्षणिक कर्मियों, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों के लेखन एवं उच्चारण पर अलग-अलग कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए।

मद संख्या- 06

च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS) की प्रगति और उपयोगिता पर विचार।

निर्णय: च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम विश्वविद्यालय में सत्र 2015-16 से लागू किया गया है जिसे शुरू रखकर उसकी उपयोगिता के संबंध में विभागों से प्रतिवेदन मांगे जाएँ कि कौन-कौन से विषय सीबीसीएस के अंतर्गत चलाए जा सकते हैं। हर विभाग अपने विषय प्रस्तुत करें और सभी विभाग समाजविज्ञान एवं मानविकी, भाषा एवं साहित्य को ध्यान में रखकर विशेष पाठ्यक्रम बनाएँ और ये तय करें कि कौन-कौन से सामान्य एवं विशेष विकल्प दिये जा सकते हैं। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए उत्तरदायी अध्यापक उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत किए जानेवाले कार्य एवं घंटों का विस्तृत विवरण तैयार करें। जिसमें कक्षा अध्यापन के अतिरिक्त Tutorial आदि के लिए भी स्थान हो।

मद संख्या- 07

परीक्षा पद्धति में प्रस्तावित सुधार के प्रस्ताव "छात्रों को मूल्यांकन के बाद उनकी उत्तर पुस्तिका दिखाई जाए" पर विचार।

निर्णय: सदन द्वारा अनुमति दी गई। प्रत्येक विभाग मूल्यांकन के बाद एक निश्चित तिथि पर छात्रों को उत्तरपुस्तिका देखने का अवसर देगा और यदि मूल्यांकन में परिवर्तन अपेक्षित है तो उसे करने के पश्चात् परीक्षाफल प्रकाशित होगा।

मद संख्या- 08

छात्रों के शिक्षण और अधिगम के पर्यवेक्षण में IQAC की भूमिका पर विचार विमर्श।

निर्णय: फीडबैक फॉर्म को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया गया। तथा छात्रों के फीडबैक के आधार पर अध्यापक को प्रोत्साहन/चेतावनी दी जाए। पूर विश्वविद्यालय के स्तर पर एक टाइम टेबल लागू किया जाए। इस हेतु लीला प्रभाग से सहयोग लिया जाए।

मद संख्या- 09

शोध हेतु संसाधनों के विस्तार पर चर्चा।

निर्णय: शोध कार्य के सम्पादन में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों को इस बात के लिए तैयार किया जाए कि वे शोधपत्र की गंभीरता को समझ सकें और उनमें अधिक से अधिक खोजने की प्रवृत्ति विकसित हो। छः माह के अंतराल पर विभागीय शोध समिति विस्तार से शोध प्रक्रिया पर चर्चा करे। विद्यार्थियों को शोध कार्य हेतु अपना निर्देशक चुनने की छूट दी

जाए। निर्णय लिया गया कि प्राप्त सुझावों के आधार पर शोध प्रक्रिया के संचालन में अपेक्षित संशोधन किया जाए। इस विषय पर स्वतंत्र रूप से गंभीर चर्चा अपेक्षित है।

मद संख्या- 10

विश्वविद्यालय में Consultancy बढाने पर विचार विमर्श।

निर्णय: विश्वविद्यालय में संचालित भाषा प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से Consultancy के कार्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार अनुवाद अध्ययन विभाग अच्छे अनुवादक तैयार कर अंग्रेजी भाषा की पुस्तकों का अनुवाद करके Consultancy कार्य को बढ़ाने में सहयोग दे सकता है।

मद संख्या- 11

पुस्तकालय सेवा में सुधार लाने पर विचार विमर्श।

निर्णय: पुस्तकालय समिति की दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 को संपन्न बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा की गई। जिसके अनुसरण में कार्रवाई चल रही है। अत: बैठक में लिए गये निर्णय के आधार पर पुस्तकालय सेवा में सुधार लाने के प्रयास किए जाएँ ।

मद संख्या- 12

नियोजन प्रकोष्ठ (Placement Cell) को सुदृढ बनाने पर विचार विमर्श।

निर्णय: नियोजन प्रकोष्ठ को सुव्यवस्थित करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया ।

मद संख्या- 13

पी.एचडी. एवं एम.फिल. प्रवेश पर चर्चा।

निर्णय: पी.एच.डी एवं एम.फिल. प्रवेश के संदर्भ में विचार- विमर्श करने के लिए अधिष्ठाता तथा विभागाध्यक्षों की विशेष बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया ।

मद संख्या- 14

परिसर को पर्यावरण के अनुकूल बनाने हेतु सुझाव।

निर्णय: विश्वविद्यालय परिसर को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए अधिक से अधिक खादी उपयोग करने का निर्णय लिया गया जैसे कि, विश्वविद्यालय में उपयोग किये जानेवाले परदे, चादर तथा मेजपोश खादी के ही हों साथ ही आमंत्रित अतिथियों को खादी का शॉल, उपहार में दिया जाए। पेड़ पौधों को जीवित रखने का निरंतर प्रयास किया जाए एवं ऐसे पौधे लगाए जाएँ जो कम पानी में भी आसानी से उग सकें।

मद संख्या- 15

सत्र 2017-18 से पंचवर्षीय बी.ए. एल.एल. बी पाठ्यक्रम प्रारंभ करने पर विचार विमर्श।

निर्णय: सत्र 2017-18 से पंचवर्षीय बी.ए. एल.एल. बी पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए डॉ. अशोक पावड़े ने नियम का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि इस पाठ्यक्रम को संचालित करने के लिए पांच अध्यापक, भवन और पुस्तकालय होना आवश्यक है। पाठ्यक्रम के संयोजक डॉ. मनोज कुमार राय ने बी.ए., एल.एल.बी. के पंचवर्षीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। जिसके आधार पर यह निर्णय लिया गया कि प्रारंभ में विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों को अध्यापन कार्य हेतु कर्तव्यस्थ किया जा सकता है।

मद संख्या- 16

अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य प्रस्ताव/सुझाव

निर्णय: बैठक में समकुलपति प्रो. आनंद वर्धन शर्मा ने दो प्रस्ताव रखे :

I) इस वर्ष विभिन्न विभागों में निकाली गई भित्तिपत्रिकाओं से रचनाएँ छाँटी जाएँ। रचनाओं को छाँटने के लिए एक समिति का गठन किया जाए और समिति के चयन तथा अनुमोदन के पश्चात् उन रचनाओं को 'नई लहर' के नाम से प्रकाशित किया जाए।

II) विद्यार्थियों से न्यूनतम राशि लेकर उनका सामूहिक बीमा कराया जाए इसके लिए जनसंपर्क अधिकारी श्री बी. एस. मिरगे को नामित किया जाए कि वह इस पर कार्यवाही करें।

दोनों प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया।

बैठक अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् संपन्न हुई।

शोभा पालीवाल
समन्वयक, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ

प्रो. गिरीश्वर मिश्र
कुलपति, म.गां.अं.हिं.वि.वि.वर्धा